**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न सं. 90**

**22.12.2017 को दिया जाने वाला उत्‍तर**

**रेल पथ अनुरक्षकों द्वारा रेल पथों का रखरखाव**

**\*90. चौधरी सुखराम सिंह यादव:**

**क्‍या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या रेल पथों के रखरखाव का कार्य प्रशिक्षित रेल पथ अनुरक्षकों द्वारा कराया जा रहा है अथवा निजी ठेकेदारों द्वारा कराया जा रहा है;

(ख) रेल पथ संबंधी दुर्घटनाओं के बार-बार होने के क्‍या कारण हैं;

(ग) एक रेल पथ अनुरक्षक को प्रतिदिन औसतन कितने किलोमीटर रेल पथ की देखभाल का काम करना होता है; और

(घ) समूचे रेलवे नेटवर्क के रेल पथों को सुदृढ़ करने के लिए अनुमानत: कितनी धनराशि की आवश्‍यकता है और क्‍या सरकार उक्‍त धनराशि उपलब्‍ध कराने पर विचार कर रही है?

**उत्‍तर**

**रेल और कोयला मंत्री (श्री पीयूष गोयल)**

(क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*\*

रेलपथ अनुरक्षकों द्वारा रेलपथों के रखरखाव के संबंध में दिनांक 22.12.2017 को राज्‍य सभा में चौधरी सुखराम सिंह यादव द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्‍न सं.90 के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर से संबंधित **विवरण।**

(क): भारतीय रेलों पर अधिकांश नियमित रेलपथ अनुरक्षण कार्यकलाप चरणबद्ध आधार पर भारतीय रेलों के स्‍वामित्‍व की रेलपथ मशीनों द्वारा किए जाते हैं और इन्‍हें रेलवे के स्‍थायी कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाता है। आमतौर पर रेलपथ अनुरक्षकों द्वारा रेलपथ पर तात्‍कालिक ध्‍यान, रेलपथ की आपात मरम्‍मत, पेट्रोलिंग कार्यकलाप और अन्‍य विविध अनुरक्षण कार्य भारतीय रेल रेलपथ नियमावली (आईआरपीडब्‍ल्‍यूएम) में यथा अंतर्विष्‍ट दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं। बहरहाल, रेलपथ नवीकरण कार्यकलापों और रेलपथ अनुरक्षण संबंधी तात्‍कालिक कार्यकलापों के 20 किस्‍म के कार्य रेल कर्मचारियों के पर्यवेक्षण के अधीन ठेकों के जरिए निष्‍पादन के लिए चिह्नित किए जाते हैं। रेलपथ अनुरक्षकों के रिक्‍त पदों के भरे जाने तक, इनकी कमी से निपटने के लिए, गाड़ियों का सुरक्षित चालन सुनिश्‍चित करने हेतु कतिपय नियमित कार्यकलाप आऊटसोर्स भी किए जाते हैं।

(ख): भारतीय रेलों द्वारा संरक्षा को उच्‍चतम प्राथमिकता दी जाती है। बहरहाल, हरसंभव प्रयासों के बावजूद, ऐसे अनेक कारक हैं, जिनके परिणामस्‍वरूप दुर्घटनाएं होती हैं। इन दुर्घटनाओं के कारणों में सड़क उपयोगकर्त्‍ताओं द्वारा समपारों पर रेलपथों को लापरवाही से पार करना, अनधिकृत रूप से प्रवेश करना और रेलपथ को अप्राधिकृत ढंग से अतिलंघन, तोड़-फोड़ अथवा शरारती तत्‍वों की गतिविधियां, प्राकृतिक आपदाएं, परिचालन के दौरान परिसंपत्तियों की समयपूर्व विफलता आदि शामिल हैं। रेलपथ संबंधी दुर्घटनाएं रेलपथ दरार/वेल्‍डिंग विफलता, रेलपथ विफलता के कारण होती हैं।

(ग): रेलपथ अनुरक्षकों द्वारा गैंग मेट अथवा जूनियर इंजीनियर के पर्यवेक्षण में समूह बनाकर कार्य किए जाते हैं। प्रत्‍येक समूह के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत रेलपथ की लंबाई लगभग 5 से 8 किलोमीटर के बीच होती है।

(घ): संरक्षा संबंधी क्रियाकलापों हेतु निधि की कोई कमी नहीं है। सरकार ने 2017-18 में भारतीय रेलों की संरक्षा में सुधार लाने हेतु पांच वर्ष की अवधि के लिए एक लाख करोड़ रुपए की राशि के ‘राष्‍ट्रीय रेल संरक्षा कोष’ (आरआरएसके) का गठन किया है। विगत में, 2001-02 में 17000 करोड़ रुपए की राशि के विशेष रेल संरक्षा निधि (एसआरएसएफ) का सृजन किया गया था। सरकार ने प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डा. अनिल काकोडकर की अध्‍यक्षता में उच्‍च स्‍तरीय संरक्षा समीक्षा समिति (एचएलएसआरसी) की अधिकांश सिफारिशें भी स्‍वीकार कर ली हैं। बिना चौकीदार वाले सभी समपारों को समाप्‍त करने, 2018-19 से लिंके हॉफमैन बुश (एलएचबी) सवारी डिब्‍बों का विनिर्माण करने और रेलपथ अनुरक्षण के मशीनीकरण को बढ़ाने का विनिश्‍चय किया गया है। इसके अलावा, रेलपथ नवीकरण के लिए प्राथमिकता के आधार पर पटरियों हेतु निर्णय सितंबर 2017 में पहले ही लिया जा चुका है।

रेल पटरियों को रेलपथ नवीकरण कार्यों के तहत बदला जाता है, जो एक सतत प्रक्रिया है। रेलपथ नवीकरण कार्य आयु/स्‍थिति के आधार पर भारतीय रेल रेलपथ नियमावली में निर्धारित मानदंडों के आधार पर रेलपथ के किसी खंड का नवीकरण देय होने पर किए जाते हैं। रेलपथ नवीकरण कार्यों की योजना प्रत्‍येक वर्ष अग्रिम तौर पर बनाई जाती है और रेलपथ की स्‍थिति तथा अन्‍य कारकों के अनुसार इनके निष्‍पादन की प्राथमिकता निर्धारित की जाती है, जिसमें रेलपथ को सदैव अच्‍छी स्‍थिति में रखना सुनिश्‍चित किया जाता है।

01.04.2017 की स्‍थिति के अनुसार, भारतीय रेलों पर रेलपथ नवीकरण के लिए 7546 कि.मी. लंबाई के रेलपथ को स्‍वीकृत किया गया है। अन्‍य संबद्ध नवीकरण कार्यों के साथ स्‍वीकृत रेलपथ नवीकरण कार्यों की अनुमानित लागत 26000 करोड़ रुपए है। आम तौर पर, रेलपथ नवीकरण कार्य उनके स्‍वीकृत होने के दो से तीन वर्षों में पूरे किए जाते हैं। वर्ष 2017-18 के लिए, रेलपथ नवीकरण कार्यों हेतु 9960.79 करोड़ रुपए का बजट परिव्‍यय आबंटित किया गया है।

\*\*\*\*\*\*